संख्या:10/2024/167ई-2/तेरह-2024-498830

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 23 फरवरी, 2024

विषयः-मेसर्स महाकौशल एग्री क्राप इण्डिया (प्रा.) लि., शंकरगढ़, प्रयागराज की क्षमता 58 कि.ली.प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 300 कार्य दिवस के आधार पर 174 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 280 लाख लीटर वार्षिक किये जानेके संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-141/दो-प्रा.डी.-197/महाकौशल.,दिनांक09-02-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21-02-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:164ई-2/तेरह-2024-498830,दिनांक 22-02-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक09-02-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्तराज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगतशासनादेश संख्या:1700ई-2/तेरह-2019-74/2016/लखनऊ, दिनांक 26.08.2019 के अन्तर्गत मेसर्स महाकौशल एग्री क्राप इण्डिया (प्रा.) लि., शंकरगढ़, प्रयागराज को 58 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 300 कार्य दिवस के आधार पर 174 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की30 प्रतिशत अनाज एवं 70 प्रतिशत शीरे पर आधारित आसवनी, जिसके अन्तर्गत 174 लाख लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए. एवं 15 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 45 लाख लीटर प्रतिवर्ष रेक्टिफाइड स्प्रिट से अब्सोल्यूट अल्कोहल एवं 102 लाख लीटर तक पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किये जाने की प्रदत्त अनुमति को संशोधित करते हुए मेसर्स महाकौशल एग्रीक्राप इण्डिया प्रा.लि., शंकरगढ़, जनपद-प्रयागराज को पूर्व से स्वीकृत क्षमता 58 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 80 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 350 कार्यदिवस के आधार पर 280 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की ग्रेन एवं शीरा आधारित मिश्रित आसवनी, जिसके अंतर्गत 40 लाख लीटर पेय क्षमता एवं 240 लाख लीटर औद्योगिक क्षमता, जिसके अन्तर्गत ई.एन.ए./अब्सोल्यूट अल्कोहल/एथनॉल/ आर.एस./ पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमतिइस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवक द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013दिनांक26-03-2021 तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्वदेयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः10/2024/167(1)ई-2/तेरह-2024-498830,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in